न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –82/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)
GCMS No. 2016/00433

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. बद्रीलाल आत्मज मोडूलाल जाति धाकड निवासी गुजरियाखेडी मृतक जरिये कायम मुकामान–
1/1 प्रहलाद आत्मज बद्रीलाल
1/2 रमेश आत्मज बद्रीलाल
1/3 श्यामलाल आत्मज बद्रीलाल
1/4 कन्याबाई पुत्री बद्रीलाल
1/5 कंचन बाई पत्नि बद्रीलाल
निवासी सहरावदा हाल निवासी गुजरियाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत् ।

उपस्थित–
1. पेरोकार सरकार
2. श्री मोहन मेडतवाल, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– 25/03/2025

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम गुजरियाखेडी के आराजी खसरा नम्बर 215/296 की रकबा 0.67 हे0, दिनांक 27.1.2011 को बद्रीलाल आत्मज मोडूलाल को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने, आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया, नोटिस बाद तामिल प्राप्त । अप्रार्थी नन्दलाल फौत होने पर कायम मुकामान की रिपोर्ट तहसीलदार रामगंजमण्डी से ली गई, कायम मुकामान रिकोर्ड पर लिये गये, अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री मोहन मेडतवाल का वकालतनामा पेश हुआ, पेरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थी उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम गुजरिया खेड़ी तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 215/296 रकबा 0.67 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अतः अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

4. वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं बहस में कथन किया है कि प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा नियम 14(4) आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा जो तथ्य अंकित किए है वे तथ्य रेवेन्यू रिकार्ड के सर्वथा विपरीत होने से स्वीकार योग्य नहीं है । खसरा गिरदावरी के आधार पर अप्रार्थीगण अलोटशुदा कृषि आराजी पर काबिज काश्त है तथा एलोटशुदा आराजी पर काबिज काश्त तत्समय से कर रहे है । खसरा नम्बर 215/296 की रकबा 0.67 हे0 चाही तृतीय पर बद्रीलाल उर्फ बत्तीलाल आत्मज मोडूलाल ने खसरा गिरदावरी के अनुसार सम्वत 2073 में धना व सरसों की फसल की थी, सम्वत 2074 में धनिया, सरसों संवत 2077 में मूंगफली, मक्का, सरसों, 2078 में मूंगफली, मक्का, सरसों गेहूं 2079 में सोयाबीन, गेहूं, सोयाबीन 2080 में गेहूं सरसों की फसल की थी, खसरे की नकलें संलग्न है । हल्का पटवारी द्वारा सम्पूर्ण रेवेन्यू रिकार्ड का अवलोकन किए बिना हल्का पटवारी रामगंजमण्डी द्वारा 19.2.2016 को जो रिपोर्ट पटवारी दी गई है वह रेवेन्यू रिकार्ड के विपरीत दी गई । अप्रार्थीगण एलोटशुदा कृषि भूमि पर फंसले की गई है तथा अप्रार्थीगण कब्जे काश्त भी है । कुछ वर्षो में वर्षा की कमी के कारण काश्त करना सम्भव नहीं होने के कारण काश्त करना सम्भव नहीं था इसलिए नियम 14(4) नियम 1970 का उल्लंघन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया ऐसा न्यायिक दृष्टान्त में कथन किया गया है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से अस्वीकार जावें एवं आवंटी अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के आदेश फरमावें ।

5. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम गुजरियाखेड़ा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा 215/296 की रकबा 0.67 हे0, भूमि दिनांक 27.1.2011 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने से आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाने से आवंटन निरस्त किया जावें । वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी द्वारा नियमित कब्जा काश्त किया जा रहा है, कब्जा काश्त की पुष्टि में खसरा गिरदावरी संवत सम्वत 2073 में धना व सरसों की फसल की थी, सम्वत 2074 में धनिया, सरसों संवत 2077 में मूंगफली, मक्का, सरसों, 2078 में मूंगफली, मक्का, सरसों गेहूं 2079 में सोयाबीन, गेहूं, सोयाबीन 2080 में गेहूं सरसों की फसल की थी तथा नलकूप, बिजली पम्पसेट भी सिंचाई हेतु लगाया हुआ है । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त की पुष्टि में प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों से कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है जिस अनुसार अप्रार्थी आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन होना नहीं पाया गया है । तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा केवल एक खसरा गिरदावरी संवत 2068 से 2071 की प्रस्तुत की है जिसमें भी काश्त धनियां मक्का, एवं सब्जियां बोने होने का उल्लेख है फिर किस आधार पर यह प्रकरण प्रकरण प्रस्तुत किया स्पष्ट नहीं हो रहा है । साथ ही वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के निर्णय दिनांक 11.2.2017 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें आवंटी बद्रीलाल का नाम बत्तीलाल दुरूस्त किया गया है तथा यह प्रकरण दिनांक 10.8.2015 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में विचाराधीन था तो फिर आप द्वारा किस आधार पर बद्रीलाल को आवंटन भूमि को निरस्त कराने का यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनावश्यक न्यायालय का समय जाया किया है इस बाबत तहसीलदार रामगंजमण्डी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है ।

जिला कलक्टर
कोटा

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवंटी के कब्जा काश्त नहीं करने के पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2068 से 71 में कमशः धनियां, मक्का, सोया की फसल होना अंकित है तथा आगे के वर्षो की खसरा गिरदावरियां अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की है जिनमें नियमित काश्त होने की पुष्टि होती है तो फिर यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत किस आधार पर प्रस्तुत किया है इस बाबत अपना स्पष्टीकरण दिया जावें । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर पुनः तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि आवंटी द्वारा कब्जा काश्त नहीं की जा रही है एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं हो रही है तो सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रकरण प्रस्तुत करें तथा यदि काश्त अन्य व्यक्तियों द्वारा की जा रही है तो उसका उल्लेख करते हुए आवेदन प्रस्तुत करें ।

7. निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा